न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

पप्पूराम V/s सरकार फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 53/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13/1/2022	वजह ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिनांक 21/1/2022 तक न्यायिक कार्य स्थगित रखा है। पीठासीन P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/1/2022 को पेश हो।	31.1.22
27/1/2022	वकील प्रार्थी की ओर से वकील श्री मयूर सिखवाल ने वकालतनामा पेश किया, जो शा.मि. हो। अभियोजन अधिकारी श्री कौशल सिंह उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31/1/2022 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
31.1.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री कौशलसिंह राठौड़ अभियोजन अधिकारी एवं श्री शिवराम अभियोजन अधिकारी रसद विभाग उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 6942 का प्रार्थी मालिक है। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है। उक्त वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–421/2021 पुलिस थाना कोतवाली नागौर प्रकरण में जब्त किया हुआ है। उक्त वाहन थाना कोतवाली नागौर में देखरेख के अभाव मे पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। पुलिस थाना कोतवाली नागौर को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके अभाव में प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी को जरिये जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा के उक्त वाहन सुपुर्द किया जाना उचित व न्याय संगत है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने का तत्पर होने का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर प्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि वाहन पिकअप नम्बर आरजे 21 जीसी 6942 रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक–31.01.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 6942 से अनुसंधान शेष नहीं होना एव ना ही अनुसंधान में आवश्यकता है। परन्तु प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 6942 पर लगभग 2000 लीटर क्षमता का एक टैंकर बना हुआ है। जिसके अन्दर 1920 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ है। टैंकर के पीछे एक डिस्पैसिंग यूनिट मय नोजल लगा हुआ है। डिस्पेसिंग यूनिट पर पेट्रोलियम पदार्थ की माप प्रदर्शित करने के लिए एक इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा हुआ है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 6942, पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य वाहन, ड्रम, प्लास्टिक की टंकिया आदि	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

पप्पूराम v/s सरकार फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 53/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
लगातार 31.1.22	को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–102/2021 सरकार बनाम चेनाराम, न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक–31.01.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 6942 से अनुसंधान शेष नहीं होना एव ना ही अनुसंधान में आवश्यकता है। परन्तु प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 6942 पर लगभग 2000 लीटर क्षमता का एक टैंकर बना हुआ है, जिसमें 1920 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ है। टेंकर के पीछे एक डिस्पैसिंग यूनिट मय नोजल लगा हुआ है। डिस्पेसिंग यूनिट पर पेट्रोलियम पदार्थ की माप प्रदर्शित करने के लिए एक इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा हुआ है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 6942, पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य वाहन, ड्रम, प्लास्टिक की टंकिया आदि को आंवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–102/2021 सरकार बनाम चेनाराम, न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने से उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सुपर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकरं यह पत्रावली रसद मामला संख्या 102/2021 के साथ नत्थी हो। (पीयुर्ष समारिया) जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर, नागौर न्यायालय जिला कलेक्टर नागौर (राजस्थान)	